Arbitration वाद सं0–08 / 2020
श्री महेश्वर सिंह
बनाम
राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश / अवार्ड

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
25.04.2023	प्रस्तुत Arbitration वाद श्री महेश्वर सिंह, पिता–स्व0 राजनंदन सिंह, ग्राम–बौरा वाजितपुर, अंचल+ थाना–पुपड़ी, जिला–सीतामढ़ी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0– 527 C अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन (खाता सं0–675, 859, के क्रमशः खेसरा सं0–874, 1457, 1464) के उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के विरूद्व दायर किया गया है। दिनांक–18.03.2023 को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त प्रतिवेदन वादी को हस्तगत कराया गया तत्पश्चात् सुनवाई प्रारंभ की गयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा खेसरा सं0–874, 1457 का मूल्यांकन धनहर–02 एवं खेसरा सं0–1464 का धनहर–03 के रूप में मानते हुए भूमि का मूल्यांकन किया गया है। उनका (वादी) का दावा है कि खेसरा सं0–1457 एवं 1464 की भूमि वर्तमान में भीठ प्रकृति की है, जिस पर आम के बड़े–बडे वृक्ष लगे हुए है। उनका (वादी) यह भी दावा है कि गजट प्रकाशन के बाद आवेदक जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी व जिलाधिकारी, सीतामढ़ी के समक्ष आवेदन दिया था, परन्तु उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका (वादी) यह भी दावा है कि अधिग्रहित जमीन का वर्तमान स्वरूप के तौर पर मुआवजा का निर्धारण करते हुए उस पर 20% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज क्षतिपूर्ति का भुगतान	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	किया जाए। सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा वादी के वाद पत्र के प्रत्युत्तर में अपने कार्यालय के पत्रांक–262 दिनांक–16.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, कि अर्जित भूमि का 3D गजट प्रकाशन के अनुरूप खेसरा सं0–874 एवं 1457 को वर्ग–2 एवं धनहर–02 एवं 1464 को वर्ग–03 धनहर–03 मानते हुए भूमि का मूल्यांकन किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि वादी के द्वारा 3A अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि दिनांक–18.08.2017 के 21 दिनों के भीतर भूमि के वर्गीकरण से संबंधित कोई आपत्ति दावा समर्पित नहीं किया गया है। जहां तक खेसरा सं0–1457 पर लगे वृक्षों के मुआवजा का प्रश्न है DLAO, सीतामढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर लगे वृक्षों का मूल्यांकन कराकर 3G स्वीकृति हेतु परियोजना निदेशक, NHAI दरभंगा को भेजा गया है। 3G प्राक्कलन की स्वीकृति होते ही मुआवजा का भुगतान कर दिया जाएगा। दिनांक–18.03.2023 को सुनवाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित अभिकथन समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि NHAI Act-1956 की धारा–3G (5) के अधीन वादी द्वारा समर्पित वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह मुआवजा राशि के निर्धारण के बजाये जमीन के वर्गीकरण से संबंधित है। वादी ने धारा–3A NHAI Act-56 के तहत अधिसूचना सं0–KA 98 (A) दिनांक–12. 01.2017 के 21 दिनों के अंदर भी कोई दावा/आपत्ति नहीं किया जिसके कारण सक्षम प्राधिकार ने अधिूसूचना में अंकित श्रेंणी के अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया है। वादीं के विद्वान अधिवक्ता, NHAI के विद्वान अधिवक्ता, DLAO, सीतामढ़ी को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का मुख्य दावा भूमि की प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन एवं पेड़ का मुआवजा नही मिलने से संबंधित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक–262 दिनांक–16.03.2023 द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि अधिग्रहित भूमि पर लगे वृक्षों का मूल्यांकन एवं 3G स्वीकृति परियोजना निदेशक, NHAI दरभंगा से मिलने के पश्चात प्रश्नगत वृक्षों के मुआवजा भुगतान किया जाएगा। जहाँ तक वादी के अधिग्रहित भूमि के मुआवजा के संबंध में किये गये दावे का है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि Ministry of Road transport and highways, Government of India (MORTH) के पत्रांक–NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के अनुसार भूमि की प्रकृति 3A अधिसूचना के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिसका राजस्व अभिलेख खतियान होता है। साथ ही इस संबंध में MORTH के पत्रांक– NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के कंडिका–10 (iii) में उल्लेखित प्रावधान हैः– **“Certain undesirable practices have come to notice of the Central Government. These include change in the nature of land or adoption of incorrect classification of land for determination of market value of land. it may be noted that the nature of land has to be taken as recorded in the revenue records on the day of publication of section-3A notification. for instance, if some landowner/interested person has raised a factory building or a commercial building upon the land under acquisition without obtaining the "Change in Land use" from the competent authority prescribed by the State Government, he/she cannot take the benefit of treatment of such land as industrial" or "commercial”.** उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी को मुआवजा का भुगतान किया गया है, जो नियमानुकूल है। अतएव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा भुगतान संबंधी पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है। **आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति संभी संबंधितों को दी जाए।** **लेखापित एवं संशोधित** **आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।** **आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL